

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छत्तीस'

[5/12/2016]

प्रश्न सं. [क. 1258]

प्रश्न-अ

मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 08 फरवरी, 02

क्रमांक डी. / 101 / 2002/परि/31

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
अमरकंटक भवन,
भोपाल ।

विषय :- डूबकों द्वारा छोड़े गये नलबूम पर अनुदान की घोषणा ।

संदर्भ :- म. प्र. शासन, कृषि विभाग मंत्रालय, भोपाल का आदेश क्र. डी. / 7/9/94/
14-3 भोपाल दिनांक 31.12.2001

-:::-

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में किसानों/जिन प्रकरण में मध्यप्रदेश

शासन जल संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर नलबूम खनन पर अनुदान संबंधित
जारी राखे आदेशों को स्तद द्वारा निरस्त किया जाता है ।

भविष्य में सिंचाई नलबूम खनन पर अनुदान की योजना अंतर्गत कार्य
कृषि विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा । म. प्र. शासन द्वारा कृषि विभाग द्वारा
जारी आदेश क्र. डी. / 17/9/94/14-3/दिनांक 31.12.2001 की प्रति संलग्न है ।

संलग्न :- स्तद मुझे अ
की प्रतियाँ (आरोप)

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग म. प्र.

16 FEB 2002

क्र. सं.

भोपाल-462016

प्रति,
सम्बन्धित :-

कृषि विभाग प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
अमरकंटक भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश ।

7114007/2001/

भोपाल, दिनांक: / /

सम्बन्धित कठोरतीय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, अमरकंटक भवन, भोपाल

की ओर सूचनाएँ एवं उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाही हेतु अर्पित ।

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल म. प्र. ।

7
2
6